न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी-श्री बलदेवसिह हाडा

रिपषद संख्या 02/15 तारीख रजू- 02/02/2015

लाल शर्मा पुत्र रामेश्वर प्रसाद शर्मा जाति ब्राहमण निवासी गंगापुरसिटी।
न गुप्ता पुत्र शिवचरण गुप्ता जाति महाजन निवासी गंगापुरसिटी।

---अपीलार्थीगण

बनाम

नगर परिषद गंगापुरसिटी।
रिषद गंगापुरसिटी जरिये आयुक्त।

---- रेस्पोडेण्टस

निर्णय दिनांक- 29/10/15

पीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 90ए उपधारा 9 के गर परिषद गंगापुरसिटी द्वारा मिसल संख्या 13,14 बाबत दिलाये जाने पटटा भूमि खसरा नम्बर कस्बा गंगापुरसिटी मे पारित आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की है।

पील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा न निर्णय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई व अधीनस्थ न्यायालय लाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस अपीलार्थीगण सुनी गई।

वकील अपीलार्थीगण ने बहस मे बताया कि कस्बा गंगापुरसिटी के खसरा नम्बर 234 मे य भू-खण्ड संख्या 58,59,60,61 कुल क्षेत्रफल 408.33 वर्गगज को अपीलार्थीगण ने जरिये नामा खातेदारो से क्रय किया था जिसका पटटा प्राप्ति के लिये अपीलार्थीगण ने नगर परिषद सिटी मे पत्रावली प्रस्तुत की थी जिसे रेस्पोडेण्टान ने गलत रूप से दबाव मे आकर र्थीगण की पत्रावली को खारिज कर दिया जबकि 13/10/2014 को रेस्पो0 द्वारा पत्रावली ष्ट आदेश दिये थे कि एल.ए.की राय ली जावे। पत्रावली पर 15/10/14 को विधि सहायक नी राय अंकित की थी कि विवादित प्लाट खसरा नम्बर 234 मे है या 237 मे इस संबंध मे ो हल्का एवं कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट ली जावे। उसके उपरान्त 18/10/14 को पत्रावली देश दिये है कि तथ्यात्मक रिपोर्ट ली जावे। पत्रावली पर दिनांक 20/10/14 को यह रिपोर्ट की गई कि एल0ए0 की जॉच के अनुसार खसरा नम्बर 234 है या 237 है के निर्धारण हेतु लदार गंगापुरसिटी को पत्र लिखा जावे पत्र हस्ताक्षर हेतु पेश करे। उक्त रिपोर्ट के आधार पर संख्या 2 ने पत्रावली पर तहसीलदार को पत्र लिखने के निर्देश दिये। तहसीलदार की रिपोर्ट किये बिना गलत आक्षेप लगाकर कि स्वामित्व की स्थिति स्पष्ट नही है, कालोनी का नक्शा ा ट्रेस से मिलना प्रतीत नही हो रहा है, एक भू-खण्ड के दो दावेदार होने के कारण निर्णय हो पा रहा है। रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा गलत रिपोर्ट करके तहसीलदार से रिपोर्ट लिये बिना दन पत्र खारिज कर दिया जबकि रेस्पो0 संख्या 2 को पत्रावली खारिज करने का अधिकार नही उनको पत्रावली सभापति के पास निर्णय हेतु भेजनी चाहिये थी। अतः रेस्पो0 संख्या 2 का श अवैधानिक है उसे निरस्त किया जावे। अपीलार्थीगण अधिवक्ता ने बहस मे यह भी बताया कि ल मे जो तथ्य दिये है वे स्पष्ट है। भूमि कृषि भूमि थी जो भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90ए तहत नगर परिषद के नाम हो चुकी है। नगर परिषद को पटटा जारी करने का आवेदन किया पत्रावली मे तहसीलदार से जॉच कराने का निर्णय लेने के बाद विधिक राय के विपरीत जाकर

जिला कलेक्टर
ई माधोपुर

गया। यदि आपत्तिकर्ता को सुना जाना था तो उसे सुनकर जॉच कराकर निर्णय करना इस कारण अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई खण्ड संख्या 58,59,60,61 का पटटा दिलाया जावे।

न वकील अपीलार्थीगण की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा नगर परिषद गंगापुरसिटी का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थीगण ने अपील मे जो है उनसे स्पष्ट जाहिर है कि यदि नगर परिषद के समक्ष खसरा नम्बर 234 अथवा 237 किसमे है यह विवादित स्थिति उत्पन्न हुई थी तो विधि सहायक की राय के अनुसार पटवारी,कनिष्ठ अथवा तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर निर्णय करना चाहिये था। उन्होने बिना निष्कर्ष के पत्रावली रेज की है। आपत्तिकर्ता को सुनकर दोनो पक्षो के कथनो पर विचार करके जॉच कराकर निर्णय इये था जिसका इस प्रकरण मे अभाव पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर नगर परिषद का आदेश विधिवत नही होने से निरस्त किया तथा पत्रावली नगर परिषद गंगापुरसिटी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि ाण व आपत्तीकर्ता को सुनकर आवश्यक जॉच कराकर प्रकरण का नये सिरे से नियमानुसार रेत करे।

निर्णय आज दिनांक 29/10/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेव सिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर